

प्रेषक,
सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
30प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु आवश्यक भूमि के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 170/ना030नि0/2018 दिनांक 27 जून, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट को विकसित किए जाने के निमित्त 27.45 एकड़ (11.1525 हैक्टेयर) भूमि की लागत ₹0 10,93,88,960/- (रूपए दस करोड़ तिरान्णवे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ साठ मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- श्रावस्ती हवाई पट्टी के रनवे के दोनों तरफ 60 मीटर के विस्तार हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार ग्राम कटरा तथा ग्राम खरगूपुर की चिन्हित भूमि का विवरण तथा उसका मूल्यांकन निम्नवत् है:-

ग्राम कटरा, तहसील इकौना (A)			
भूमि	प्रकार	क्षेत्रफल	मूल्यांकन
	कृषक (कुल 63)	4.3472 है0	₹0 6,11,72,800.00
	सरकारी	1.8458 है0	-
	कुल	6.1930 है0	₹0 6,11,72,800.00
निबन्धन शुल्क			₹0 7,73,240.00
कुल मूल्य (मूल्यांकन+निबन्धन शुल्क)			₹0 6,19,46,040.00
ग्राम खरगूपुर, तहसील इकौना (B)			
भूमि	प्रकार	क्षेत्रफल	मूल्यांकन
	कृषक (कुल 19)	4.7756 है0	₹0 4,67,06,760.00
	सरकारी भूमि	0.1839 है0	-
	कुल	4.9595 है0	₹0 4,67,06,760.00

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निबन्धन शुल्क			रु0 3,36,160.00
पक्का मकान (35.68 वर्ग मी0) का मूल्यांकन			रु0 4,00,000.00
कुल मूल्य (मूल्यांकन+ निबन्धन शुल्क)			रु0 4,74,42,920.00
दोनों ग्रामों की भूमि का कुल योग	कृषक	9.1228 है0	
	सरकारी	2.0297 है0	
	कुल	11.1525 है0	
दोनों ग्रामों की कुल भूमि का मूल्य (A+B)			रु0 10,93,88,960.00

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु आवश्यक 27.45 एकड़ (11.1525 हैक्टेयर) भूमि के क्रय हेतु ऑकलित लागत रु0 10,93,88,960/- (रुपए दस करोड़ तिरान्नवे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ साठ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रु0 10,93,88,960/- (रुपए दस करोड़ तिरान्नवे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ साठ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की छिरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।
- (4) भूमि क्रय से पूर्व जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रय की जाने वाली भूमि एयरपोर्ट निर्माण से सम्बन्धित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान के अनुसार है। भूमि क्रय से पूर्व इस आशय की पुष्टि/प्रमाण-पत्र जिला प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 10,93,88,960/- (रुपए दस करोड़ तिरान्नवे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ साठ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, श्रावस्ती से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयवद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।
- 6- जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्टर प्लान को राजस्व मैप पर सुपरइम्पोज कराने के उपरान्त चिन्हित की गई भूमि ही क्रय की जाए।
- 7- जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।
- 8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-600/दस-2018, दिनांक 06 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या: 80/2018/1537(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (3) मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
- (4) जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
- (5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
- (6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
- (8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।